

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक: 19 मई, 2023. निर्धारित की जाती है। सन्निरीक्षा शुल्क रुपया 500-00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रश्नपत्र की दर से (लिखित एवं प्रयोगात्मक खण्ड हेतु पृथक-पृथक) निर्धारित है। सन्निरीक्षा से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात् ऑनलाइन भरे, सन्निरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट के साथ सन्निरीक्षा हेतु जमा किये गये सन्निरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक: 19 मई, 2023 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना आनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र (OFF LINE) स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक: 19 मई, 2023 के पश्चात् जमा किये गये चालान के साथ प्रेषित सन्निरीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए सम्बन्धित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे।



(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: मा०शि०प०/गोपनीय/ 18(1-5)

दिनांक: 25 अप्रैल, 2023

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रधान सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के प्रत्येक संस्करण में प्रमुख स्थान पर जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- वैयक्तिक सहायक, शि०नि० (माध्यमिक) एवं सभापति, मा०शि०प०, उ०प्र०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 4- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्र०का०, मेरठ/बरेली/वाराणसी/प्रयागराज एवं गोरखपुर।
- 5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।


(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।